

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2017—माघ 28, शक 1938

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 1-1/2016/1/5.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं विवेक ढाँड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नया रायपुर एवं रायपुर शहर में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों/संस्थाओं के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 के लिए निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :—

क्रमांक	त्यौहार	दिनांक	दिन
01	गणेश चतुर्थी	25 अगस्त, 2017	शुक्रवार
02	महाष्टमी (अश्विन)	28 सितंबर, 2017	गुरुवार
03	दीपावली का दूसरा दिन	20 अक्टूबर, 2017	शुक्रवार

[illegible]

2. अनुसूची के नीचे, निम्नलिखित टीप जोड़ा जाये, अर्थात् :—

“टीप — पम्प ऑपरेटर एवं प्लम्बर के पद को, राज्य शासन के निर्माण विभाग अथवा राज्य शासन के अधीन निगम/मण्डल/प्राधिकरण से समान पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी की संविदा नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा.”

No. F-10-20/2011/1/5 (Part-2).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Academy of Administration Class-IV Services Recruitment Rules, 2015, namely :—

#### AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. For serial number 8 and 9 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
“8.	Pump Operator	01										
9.	Plumber	01”										

2. Below the Schedule, the following note shall be added, namely :—

“Note — The post of Pump Operator and Plumber shall be filled by contractual appointment of retired employees from the analogous post in works department of the State Government or Corporation/Board/Authority under the State Government.”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
डी. डी. सिंह, सचिव

#### गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जनवरी 2017

क्रमांक/एफ 7-11/2016/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-11-2016, जिसके द्वारा श्रीमती सोनल व्ही. मिश्रा, (भापुसे-2000), उप पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर (छ.ग.) को दिनांक 24-12-2016 से दिनांक 07-01-2017 तक (कुल 15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती मिश्रा को दिनांक 26-12-2016 से दिनांक 07-01-2017 तक (कुल 13 दिवस) के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है, साथ ही दिनांक 25-12-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. समसंख्यक आदेश दिनांक 29-11-2016 की शेष कण्डिकायें यथावत रहेंगी.

नया रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2017

क्रमांक/एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अभिषेक शांडिल्य, (भापुसे-2007) सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लेखा, कल्याण एवं यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मान. राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पदस्थ किया जाता है.

श्री बालाजी राव सोमावार, (भापुसे-2007) मान. राज्यपाल के परिसहाय, राजभवन, रायपुर, को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 1-11/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, प्रशासनिक आधार पर निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री गिरिजाशंकर जायसवाल (भापुसे-2010)	पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर.
2.	श्री प्रशांत ठाकुर (रा.पु.से.)	पुलिस अधीक्षक, (एटीएस) पुलिस मुख्यालय, रायपुर.	पुलिस अधीक्षक, जिला-जशपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

### वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 1-16/2004/11/(6).—श्री यशवंत कुमार (भा.प्र.से.), पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें के दिनांक 22-01-2017 से 13-02-2017 तक अन्य राज्य में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्रवास पर रहने के फलस्वरूप इस अवधि के लिए श्री डी.डी. महंत, उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, नया रायपुर का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

2. उक्त हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. डी. महंत को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 4 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 58 (1) के तहत पंजीयक की समस्त शक्तियां प्रदत्त की जाती है.

3. श्री यशवंत कुमार, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें के उक्त प्रवास के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इस आदेश का प्रभाव स्वयंमेव समाप्त माना जाएगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

### श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2017

#### संशोधित

क्रमांक एफ 1-10/2006/16.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01-12-2016 को आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल हेतु निम्नानुसार संचालक मंडल का पुनर्गठन करता है :—

- |    |           |   |                                      |
|----|-----------|---|--------------------------------------|
| 1. | अध्यक्ष   | — | श्री योगेश चन्द्र शर्मा              |
| 2. | उपाध्यक्ष | — | श्री सुभाष तिवारी                    |
| 3. | सचिव      | — | कल्याण आयुक्त, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल |

**स्वतंत्र शासकीय सदस्य :—**

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम.
2. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर.
3. आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि, रायपुर.
4. कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, रायपुर.
5. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर.

**संचालक सदस्य नियोजक प्रतिनिधि :—**

1. अध्यक्ष, छ.ग. सीमेंट उद्योग एसोसियेशन.
2. अध्यक्ष, उरला इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन.
3. महाप्रबंधक, छ.ग. पावर होल्डिंग कंपनी, रायपुर.
4. महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. सीपत, बिलासपुर.
5. महाप्रबंधक, जिंदल स्टील एंड पावर लि. रायगढ़.
6. अध्यक्ष, छ.ग. राईस मिल उद्योग एसोसियेशन.

**कर्मचारियों के प्रतिनिधि :—**

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| 1. श्री पी. एल. चंद्राकर  | — | कोरबा                                    |
| 2. श्री राजेश साहू        | — | पटना, जिला-कोरिया                        |
| 3. श्री कमल बोस           | — | ग्राम-चंदनियापारा, जिला-जांजगीर-चांपा    |
| 4. श्री बलीराम साण्डेय    | — | ग्राम-पुरगांव, बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार |
| 5. श्रीमती परमिला देवांगन | — | ग्राम नगपुरा, जिला-दुर्ग                 |
| 6. श्री मनोज दुबे         | — | बिलासपुर                                 |

**स्वतंत्र सदस्य :—**

- |                            |   |                                       |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. श्री आर. सी. नाहर       | — | जिला-दंतेवाड़ा                        |
| 2. श्री अशोक पाण्डेय       | — | रायपुर                                |
| 3. श्री गोपाल साहू         | — | पण्डरिया, जिला कबीरधाम                |
| 4. श्री ओंकार प्रसाद वर्मा | — | भिलाई                                 |
| 5. श्री लखनलाल गुरुपंच     | — | मु.पु. पलारी, वि.खं.-गुरु, जिला-बालोद |
| 6. श्रीमती ऋतु शर्मा सिंह  | — | रायपुर                                |
| 7. श्री रूपनारायण सिन्हा   | — | ग्राम-कम्हली (पाटन) जिला-दुर्ग        |

2. उक्त समिति छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 4 के उपधारा (3) के खण्ड “ख” एवं “ग” के अधीन नाम-निर्देशित सदस्यों की पदावधि नाम निर्देशन की तारीख से 03 वर्ष तक प्रभावशील होगी. उक्त अवधि समाप्त होने पर आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

**वन विभाग**

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 1-11/2016/दस ( भा.व.से. ).— राज्य शासन एतद्वारा श्री कैलाश चन्द्र बेवर्ता, भा.व.से. (1983) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 01-02-2017 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक [ भारतीय वन सेवा (वेतन) नियम, 2016 के अनुसूची III वेतन मेट्रिक्स लेबल 16, 205400-224400 ] के पद पर पदोन्नति प्रदान करता है.

2. श्री बेवर्ता, भा.व.से. का पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. पी. मण्डल, प्रमुख सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2.—मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-4 (ग) दिनांक 30 जून, 1989 में यथा प्रकाशित किये गये वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2343-2751-दस-3-89, भोपाल दिनांक 30 मई, 1989 स्थापित डिपो से इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी/लकड़ी के कोयले की नीलामी में विक्रय शर्तों में विनियमित करने वाले नियम में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

#### संशोधन

- 14 (क) यदि बेची गई इमारती लकड़ी/जलाऊ लकड़ी, कोयला उपर्युक्त शर्त क्र. 2 (ख) (एक) के अनुसार मंजूरी की सूचना की तारीख से दो माह के भीतर डिपो से नहीं हटाया जाता तो वनमण्डलाधिकारी द्वारा निम्नानुसार स्थान भाड़ा वसूल किया जावेगा :—

(1)	इमारती लकड़ी	—	राशि 5 रुपये प्रति दिन प्रति घनमीटर.
(2)	जलाऊ लकड़ी	—	राशि 25 रुपये प्रति स्टैण्डर्ड माप का चट्टा प्रति माह.
(3)	कोयला	—	राशि 5 रुपये प्रति बोरा प्रति माह.

उपरोक्त भूमि भाड़ा के दरों में आगामी आदेश तक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि की जावेगी. मंजूरी की संसूचना की तारीख से दो महीने की अवधि समाप्ति के पश्चात् स्थान भाड़ा की संगणना की जावेगी.

- 2 (क) (एक) के अंत में निम्नानुसार जोड़ा जाये—

नीलाम में विक्रित वनोपज के क्रेता द्वारा नीलाम दिनांक के 07 दिवस के भीतर पूर्ण राशि जमा किये जाने पर, क्रेता को कुल मूल्य से 0.5 प्रतिशत छूट मिलेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1/2017/10-2, दिनांक 30-01-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अतुल कुमार शुक्ल, सचिव.

Naya Raipur, the 30th January 2017

No. F 8-1/2017/10-2.—In Gazette notification of Madhya Pradesh Part 4 (C) dated 30 June 1989 as published in Forest Department Notification No. 2343-2751-Ten 3-89, Bhopal dated 30 May 1989, from established depot to

regularise Timber/Fuel wood/Charcoal in auction rules of purchase the following amendments as follows :—

#### AMENDMENT

- 14 (a) If the timber/fuel wood/charcoal sold is not removed from the depot within two months from the date of communication of sanction vide depot auction condition. 2 (b) (i) i.e., ground rent (wharfage) shall be charged by the D.F.O. as under.

(i)	Timber	—	5 (Five) par cubic metre per day.
(ii)	Fuel wood	—	25 (Twenty) per standerd stack per month.
(iii)	Charcoal	—	5 (Five) par bag per month.

The above ground rent will be increased by 10% every year until the next order. Ground rent (wharfage) shall be calculated after the expiry of the period of two months from the date of communication of sanction.

At the end of Section 2 (a) (i) it is to be added that “If the purchaser deposits full purchase price of the forest produce he purchased in the auction with in 7 days, he will be given 0.5% rebate on the whole purchase price.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
ATUL KUMAR SHUKLA, Secretary.

### खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 58 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (एक) में, शब्द, चिन्ह तथा विरामचिन्ह “अनुसूची-एक के भाग-ग और अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट खनिजों” के स्थान पर, शब्द, चिन्ह, अंक तथा विरामचिन्ह “अनुसूची-एक के भाग-ख के सरल क्रमांक 11 में विनिर्दिष्ट गौण खनिज डोलोमाईट, जिसमें अट्ठारह प्रतिशत से कम MgO और छः प्रतिशत से अधिक SiO<sub>2</sub> हो, अनुसूची-एक के भाग-ग और अनुसूची-दो के भाग-क में विनिर्दिष्ट किसी खनिज” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2017

क्रमांक एफ 6-42/2012/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 13 फरवरी 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
इफ्फत आरा, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 13th February 2017

No. F 6-42/2012/12.—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules,—

In rule 58, in sub-rule (1), in clause (i), for the words, symbols and punctuations “any Minor Mineral specified in part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II”, the words, symbols, figure and punctuations “Minor Mineral dolomite specified at Serial number 11 of Part-B of Schedule-I in which MgO is less than eighteen percent and SiO<sub>2</sub> is more than six percent, any mineral specified in Part-C of Schedule-I and Part-A of Schedule-II” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
EFFAT ARA, Joint Secretary.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जगदलपुर, दिनांक 2 फरवरी 2017

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	छुरावण्ड प.ह.नं. 01	0.40	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	बड़े कनेरा-कमेला-छुरावण्ड मार्ग के कि.मी. 1/4 पाहण्डी नाला सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर/कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.



## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2013-14.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-छिछोर उमरिया, प.ह.नं. 41, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.060 हे. केलो परियोजना अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर केलो परियोजना रायगढ़ निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 31-01-2014 तथा दिनांक 30-01-2015 को कराया गया है।

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से खसरा नं. 224/1 रकबा 0.012 हे. एवं खसरा नं. 1580/2 रकबा 0.020 हे. भूमि नहर में प्रभावित नहीं होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है।

## 1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

## ग्राम-छिछोर उमरिया

क्र.	ख. नं.	रकबा
1.	224/1	0.012
2.	1580/2	0.020
कुल खसरा -02,		रकबा 0.032

## 2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अलरमेल मंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2017

क्रमांक 183/भू-अर्जन/भू.अ.प्र.क्र. 4 अ/82 वर्ष 2016-17.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल		लोक प्रयोजन का विवरण
			खसरा नं.	रकबा हे.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	अभनपुर	झांकी	555/1	0.20	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण
			556/1	0.45	
			556/2	0.46	
			565	0.52	
			566	0.11	
			567	0.29	
			568/1	0.29	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			568/2	0.01	
			569/2	0.11	
		<b>योग</b>	<b>9</b>	<b>2.44</b>	

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई दिनांक 8-3-2017 को समय 11.30 बजे स्थान ग्राम झांकी पंचायत भवन पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

1.	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन निर्माण
2.	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	07 व्यक्ति
3.	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
4.	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
5.	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
6.	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है?	—	हां.
7.	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है?	—	हां
8.	परियोजना की कुल लागत	—	अनुमानित राशि रु. 2,93,57,970/-
9.	परियोजना से होने वाले लाभ	—	ग्राम झांकी में रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन की निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा होगी तथा रोजगार उपलब्ध होगा.
10.	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	रु. 5.00 लाख
11.	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**ओम प्रकाश चौधरी**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़  
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व  
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बम्हनीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.70 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
105	0.70
106/3	0.28
107	0.30

(1)	(2)
106/1	0.28
106/2	0.16
108/1	1.12
108/2	0.05
123	0.95
108/3	0.26
125	0.63
126	1.12
127	0.85
योग	6.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पोड़ी जलाशय योजना के अंतर्गत डूबान एवं शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-बिटकुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
252/1	0.01
410/1	0.09
252/4	0.05

(1)	(2)
414, 415	0.06
397/1, 397/2	0.18
398	0.10
144/3	0.14
369	0.22
योग	0.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामावतार जलाशय योजना पूरक नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मस्तुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 11 जनवरी 2017

प्र. क्रमांक 11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-बलौदा
- (ग) नगर/ग्राम-नवागांव, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.873 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
974	0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
975	0.008	998/10	0.040
977	0.012	998/2	0.016
978	0.053	998/3, 999/5, 999/4	0.032
980	0.057	998/5, 998/7, 999/8	0.028
981	0.040	999/9	0.020
983	0.045	999/10	0.024
984	0.016	999/11	0.045
985	0.028	1002	0.004
986	0.049	1003	0.004
987	0.085	1004	0.004
989	0.080	1005	0.004
990	0.109	1006	0.004
991	0.065	1007	0.004
920/1	0.012	1008	0.004
920/2	0.012	1009	0.004
920/3	0.028	1010	0.004
976/1	0.008	1011	0.004
976/2	0.008	1012	0.004
979/1	0.008	1013	0.004
979/2	0.016	1014	0.004
979/3	0.016	1016	0.004
979/4	0.016	1017	0.004
979/5	0.012	1018	0.004
979/6	0.012	1019	0.004
979/7	0.012	1021	0.004
979/8	0.008	1023	0.004
982/1	0.008	1024	0.004
982/2	0.012	1025	0.004
982/3	0.012	1001/1	0.008
982/4	0.012	1001/2	0.008
982/5	0.008	1001/3	0.008
982/6	0.012		
982/7	0.012		
988/2	0.008		
993/1	0.060	योग	77 1.873
993/2	0.060		
993/3	0.060	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुदरी बैरोंज	
993/4	0.060	के तहत डूबान क्षेत्र हेतु,	
993/5	0.101	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
993/6	0.060	(रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया	
993/7	0.060	जा सकता है.	
993/8	0.060		
993/9	0.060	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
993/10	0.060	एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2016

क्रमांक गन्ना/क्षेत्र आरक्षण/2016-17/722.—मैं ए. के. श्रीवास्तव, गन्ना आयुक्त छ.ग. रायपुर, दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद, जिला बालोद के लिये छ.ग. गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार क्रय केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का गन्ना, गन्ना पेराई वर्ष 2016-17 के लिये आरक्षित घोषित करता हूँ, यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा. आरक्षित किये गये ग्रामों का गन्ना निम्नानुसार क्रय केन्द्रों पर शक्कर कारखाना द्वारा क्रय किया जावेगा :—

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	विकासखण्ड	ग्रामों की संख्या	गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	शक्कर कारखाना द्वार	गुरुर	76	294.00
		डौँडी लोहारा	69	290.00
		गुण्डरदेही	70	585.00
		बालोद	60	326.00
		डौँडी	20	52.00
		पाटन	6	7.80
		दुर्ग	9	17.70
		खैरागढ़	8	33.30
		राजनांदगांव	5	28.00
		धमतरी	6	34.60
	योग	329	1668.40	
2.	बेरला	बेरला	32	247.00
		साजा	12	57.00
		धमधा	42	207.00
		योग	86	511.00
3.	आनंदगांव	बेरला	19	85.00
		बेमेतरा	31	155.00
		योग	50	240.00
		महायोग	464	2419.40

ए. के. श्रीवास्तव,  
गन्ना आयुक्त.

## शक्कर कारखाना गेट पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों की सूची विकासखंडवार

पेराई सत्र 2016-17

क्र.	विकासखण्ड	ग्राम का नाम	ग्रामवार किसानों की संख्या	ग्रामवार गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	कारखाने से ग्राम की दूरी (कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	गुरुर	ठेकवाडीह	9	16.00	15
2.	गुरुर	नरबदा	1	1.00	20
3.	गुरुर	सरबदा	1	1.00	21
4.	गुरुर	दियाबाती	3	4.40	18
5.	गुरुर	खर्वा	3	4.20	20
6.	गुरुर	दुपचेरा	4	5.00	13
7.	गुरुर	कनेरी	1	1.40	18
8.	गुरुर	मुजगहन	6	8.10	13
9.	गुरुर	फागुनदाह	4	7.00	25
10.	गुरुर	अकलवारा	16	27.00	25
11.	गुरुर	खोरदो	5	6.50	28
12.	गुरुर	परसुली	1	1.00	32
13.	गुरुर	डढारी	6	5.50	22
14.	गुरुर	पलारी	5	7.00	35
15.	गुरुर	भिरई	1	2.00	42
16.	गुरुर	देवकोट	1	0.50	32
17.	गुरुर	धनेली	3	3.60	18
18.	गुरुर	भुलनडबरी	1	1.00	15
19.	गुरुर	भोथली	3	5.00	25
20.	गुरुर	बासीन	2	3.30	26
21.	गुरुर	बोड़रा	5	12.00	19
22.	गुरुर	अरकार	1	2.00	45
23.	गुरुर	हसदा	1	1.00	40
24.	गुरुर	सोरर	3	4.50	8
25.	गुरुर	चिरचारी	8	14.00	6
26.	गुरुर	बोहारा	1	1.00	36
27.	गुरुर	अरमरीकला	1	1.80	36
28.	गुरुर	दानीटोला	2	2.60	15
29.	गुरुर	कन्हारपुरी	3	4.70	15
30.	गुरुर	चुल्हापथरा	8	13.00	22
31.	गुरुर	सोनईडोंगरी	5	7.30	20
32.	गुरुर	धनोरा	4	5.40	6
33.	गुरुर	कपरमेटा	4	6.90	5
34.	गुरुर	टें. बरपारा	5	6.20	6
35.	गुरुर	बड़भुम	2	2.50	25
36.	गुरुर	हितेकसा	4	8.00	12
37.	गुरुर	रूपुटोला	3	5.40	15
38.	गुरुर	नगझर	3	4.40	15
39.	गुरुर	मंगचुवा	2	3.00	12
40.	गुरुर	सोहतारा	4	4.50	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
41.	गुरुर	साल्हेभाट	1	2.00	18
42.	गुरुर	खैरडीगी	4	3.50	18
43.	गुरुर	मुजालगोंदी	3	3.50	25
44.	गुरुर	कोचवाही	1	1.00	25
45.	गुरुर	करेझर	2	2.00	35
46.	गुरुर	करियाटोला	2	2.00	10
47.	गुरुर	बोरीदकला	1	1.00	25
48.	गुरुर	डोकला	1	0.60	18
49.	गुरुर	तारी	1	1.00	8
50.	गुरुर	कंकालिन	2	2.00	18
51.	गुरुर	भानपुरी	3	3.80	18
52.	गुरुर	मोहारा	2	2.55	35
53.	गुरुर	मोखा	3	3.40	15
54.	गुरुर	दरगहन	3	3.20	21
55.	गुरुर	खुंदनी	3	4.45	25
56.	गुरुर	अर्जुनी	1	0.40	12
57.	गुरुर	मुड़पार	4	5.80	25
58.	गुरुर	छेड़िया	1	1.90	8
59.	गुरुर	सोंहपुर	1	0.60	15
60.	गुरुर	बगदर्ई	1	1.00	10
61.	गुरुर	रमतारा	1	0.30	12
62.	गुरुर	बोड़तरा	1	1.00	12
63.	गुरुर	घोघोपुरी	2	4.30	8
64.	गुरुर	सुरा	1	1.10	20
65.	गुरुर	नारागांव	1	1.00	15
66.	गुरुर	गुरुर	1	2.00	10
67.	गुरुर	बागतराई	1	1.50	34
68.	गुरुर	पेण्डरवानी	1	1.40	35
69.	गुरुर	पेरपार	1	1.00	34
70.	गुरुर	डोटोपार	3	4.00	25
71.	गुरुर	भरदा	1	1.00	6
72.	गुरुर	कोलिहामार	1	1.00	10
73.	गुरुर	घानापुरी	2	4.00	18
74.	गुरुर	बिच्छीबाहरा	1	1.50	18
75.	गुरुर	अलोरी	1	1.50	35
76.	गुरुर	गगोरीपार	1	1.00	24
<b>कुल रकबा</b>			<b>205</b>	<b>294.00</b>	
1.	डौं. लोहारा	पिनकापार	2	3.00	75
2.	डौं. लोहारा	माहराजपुर	15	22.00	73
3.	डौं. लोहारा	मुड़खुसरा	2	2.00	70
4.	डौं. लोहारा	चे.ब.नवागांव	1	3.00	60
5.	डौं. लोहारा	नांहदा	1	1.00	60
6.	डौं. लोहारा	बेहराभाठा	2	4.00	63
7.	डौं. लोहारा	खपरभाठा	2	4.00	66
8.	डौं. लोहारा	गनेशखपरी	1	2.00	70

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	डौं. लोहारा	कुंआगांव	2	3.00	66
10.	डौं. लोहारा	रिवागहन	4	6.00	60
11.	डौं. लोहारा	गोड़मर्मा	5	8.00	65
12.	डौं. लोहारा	परसाडीह	2	4.00	55
13.	डौं. लोहारा	फड़दफोड़	3	5.00	62
14.	डौं. लोहारा	कापसी	1	2.00	50
15.	डौं. लोहारा	सोरली	1	2.00	48
16.	डौं. लोहारा	संबलपुर	2	3.00	40
17.	डौं. लोहारा	खैरीडीह	11	14.00	52
18.	डौं. लोहारा	भंवरमरा	2	3.00	85
19.	डौं. लोहारा	जुंगेरा	2	4.00	87
20.	डौं. लोहारा	भिन्दो	1	1.00	64
21.	डौं. लोहारा	खोलझर	4	9.00	61
22.	डौं. लोहारा	बुल्लुटोला	2	3.00	60
23.	डौं. लोहारा	गुरामी	1	2.00	48
24.	डौं. लोहारा	डौं. लोहारा	1	1.00	42
25.	डौं. लोहारा	कोटेरा	2	3.00	58
26.	डौं. लोहारा	कोसमी	1	1.00	50
27.	डौं. लोहारा	परसाडीह	3	5.00	53
28.	डौं. लोहारा	केंवट नवागांव	1	2.00	62
29.	डौं. लोहारा	किसना	2	3.00	65
30.	डौं. लोहारा	चिल्हाटी खुर्द	2	3.00	50
31.	डौं. लोहारा	चिल्हाटी कला	5	12.00	50
32.	डौं. लोहारा	रेंगनी	19	26.00	42
33.	डौं. लोहारा	रेंघई	2	2.00	40
34.	डौं. लोहारा	कलकसा	5	8.00	35
35.	डौं. लोहारा	सुरेगांव	6	10.00	60
36.	डौं. लोहारा	बुंदेली	4	9.00	45
37.	डौं. लोहारा	बनगांव	2	3.00	40
38.	डौं. लोहारा	खैरा	7	9.00	42
39.	डौं. लोहारा	दुधली	2	4.00	55
40.	डौं. लोहारा	कुम्हालोरी	8	13.00	54
41.	डौं. लोहारा	खरथुली	3	5.00	50
42.	डौं. लोहारा	खपरी	2	5.00	30
43.	डौं. लोहारा	सहगांव	1	1.00	58
44.	डौं. लोहारा	परना	1	2.00	77
45.	डौं. लोहारा	बगईकोन्हा	2	3.00	50
46.	डौं. लोहारा	गैंजी	1	2.00	59
47.	डौं. लोहारा	हीतापठार	1	2.00	52
48.	डौं. लोहारा	झरनटोला	2	2.00	53
49.	डौं. लोहारा	नारगी	1	2.00	48
50.	डौं. लोहारा	पारी	1	2.00	49
51.	डौं. लोहारा	जोगीभाट	2	3.00	53
52.	डौं. लोहारा	परसुली	1	2.00	60
53.	डौं. लोहारा	रानीतराई	1	1.00	52
54.	डौं. लोहारा	सिराभाठा	2	2.00	59
55.	डौं. लोहारा	ग. नवागांव	1	2.00	53



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
56.	डॉ. लोहारा	हरदी	1	1.00	62
57.	डॉ. लोहारा	बोईरडीह	2	2.00	65
58.	डॉ. लोहारा	बरडीह	2	2.00	78
59.	डॉ. लोहारा	मनकी	2	4.00	45
60.	डॉ. लोहारा	किल्लेकोड़ा	1	1.00	45
61.	डॉ. लोहारा	आलीवारा	1	1.00	53
62.	डॉ. लोहारा	देवरी	1	1.00	55
63.	डॉ. लोहारा	कसहीकला	3	6.00	49
64.	डॉ. लोहारा	मारी	1	2.00	53
65.	डॉ. लोहारा	बहराभाटा	2	3.00	45
66.	डॉ. लोहारा	सुरसुली	1	2.00	50
67.	डॉ. लोहारा	जेवरतला	1	1.00	65
68.	डॉ. लोहारा	खामभाट	1	2.00	60
69.	डॉ. लोहारा	कोरगुड़ा	2	2.00	45
<b>कुल रकबा</b>			<b>184</b>	<b>290.00</b>	
1.	गुण्डरदेही	खुटेरी रंग	3	6.00	48
2.	गुण्डरदेही	अचौद	25	41.50	45
3.	गुण्डरदेही	बोदल	2	3.00	42
4.	गुण्डरदेही	बोरगहन	22	32.10	48
5.	गुण्डरदेही	फुण्डा	14	22.00	46
6.	गुण्डरदेही	पेण्डी	51	90.00	45
7.	गुण्डरदेही	कलंगपुर	4	9.00	45
8.	गुण्डरदेही	चारभाठा	4	12.00	43
9.	गुण्डरदेही	जोरातराई	6	12.00	60
10.	गुण्डरदेही	परसाही	2	2.50	60
11.	गुण्डरदेही	मुंडरा	3	8.00	58
12.	गुण्डरदेही	कसौदा	4	9.00	55
13.	गुण्डरदेही	सिरसिदा	6	8.50	60
14.	गुण्डरदेही	गोरकापार	2	4.00	60
15.	गुण्डरदेही	सांकरी	22	31.50	30
16.	गुण्डरदेही	सिकोसा	2	3.00	40
17.	गुण्डरदेही	कोड़ेवा	6	10.20	42
18.	गुण्डरदेही	कोटगांव	3	5.50	45
19.	गुण्डरदेही	चंदन बिरही	4	6.30	45
20.	गुण्डरदेही	गुण्डरदेही	2	4.00	42
21.	गुण्डरदेही	नवागांव	3	4.50	50
22.	गुण्डरदेही	कुरदी	4	8.00	40
23.	गुण्डरदेही	देवगहन	2	3.00	55
24.	गुण्डरदेही	कांडुल	3	4.50	55
25.	गुण्डरदेही	पिनकापार	3	4.10	42
26.	गुण्डरदेही	खुटेरी ख	4	5.00	45
27.	गुण्डरदेही	जेवरतला	2	3.00	65
28.	गुण्डरदेही	रजोली	9	13.70	25
29.	गुण्डरदेही	मोहलई	2	3.00	25
30.	गुण्डरदेही	भुसरंगा	6	5.80	46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	गुण्डरदेही	डुंडेरा	2	2.00	35
32.	गुण्डरदेही	कचान्दुर	1	2.00	65
33.	गुण्डरदेही	चिचबोड़	2	2.00	25
34.	गुण्डरदेही	पसौद	4	7.00	25
35.	गुण्डरदेही	बासींग	2	2.00	46
36.	गुण्डरदेही	लिमोरा	4	7.00	35
37.	गुण्डरदेही	सरोखा	1	1.00	65
38.	गुण्डरदेही	चंदखुरी	1	1.60	25
39.	गुण्डरदेही	फुलझर	3	3.50	25
40.	गुण्डरदेही	धनगांव	1	1.50	46
41.	गुण्डरदेही	खपरी	3	6.90	35
42.	गुण्डरदेही	पैरी	1	2.00	65
43.	गुण्डरदेही	सनौद	1	0.50	25
44.	गुण्डरदेही	ईरागुड़ा	5	9.30	25
45.	गुण्डरदेही	चाराचार	3	6.40	46
46.	गुण्डरदेही	माहुद	2	4.00	35
47.	गुण्डरदेही	बेलोदी	6	10.00	25
48.	गुण्डरदेही	मोखा	4	3.70	30
49.	गुण्डरदेही	हल्दी	6	10.00	28
50.	गुण्डरदेही	सिराभाठा	14	18.00	27
51.	गुण्डरदेही	भाठागांव बी	1	2.00	32
52.	गुण्डरदेही	भाठागांव आर	2	2.00	40
53.	गुण्डरदेही	मोंगरी	4	8.00	32
54.	गुण्डरदेही	बरबसपुर	7	13.00	45
55.	गुण्डरदेही	टिकरी	1	1.00	65
56.	गुण्डरदेही	खुटेरी	2	3.00	25
57.	गुण्डरदेही	रिसामा	4	6.00	25
58.	गुण्डरदेही	मटिया	3	5.00	46
59.	गुण्डरदेही	गुरेदा	4	3.60	35
60.	गुण्डरदेही	डंगनिया	2	4.00	65
61.	गुण्डरदेही	झिंका	3	4.00	25
62.	गुण्डरदेही	रेंहची	4	8.00	65
63.	गुण्डरदेही	डौंकीडीह	1	1.00	25
64.	गुण्डरदेही	परसदा	1	2.00	25
65.	गुण्डरदेही	राहुद	3	3.00	46
66.	गुण्डरदेही	खैरबना	2	2.00	35
67.	गुण्डरदेही	सिब्दी	4	7.00	65
68.	गुण्डरदेही	पिरिद	3	4.20	25
69.	गुण्डरदेही	कमरौद	14	22.30	35
70.	गुण्डरदेही	भोथीपार	4	8.80	45
कुल रकबा			360	585.00	
1.	बालोद	बिरेतरा	3	6.00	18
2.	बालोद	बेलमांड	1	0.50	20
3.	बालोद	मटिया ( पी )	2	2.00	22
4.	बालोद	उमरादाह	3	2.50	17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	बालोद	नेवारीकला	2	2.00	22
6.	बालोद	परसाही	3	3.00	32
7.	बालोद	पिपरछेड़ी	12	13.00	15
8.	बालोद	भेंगारी	2	2.50	18
9.	बालोद	चारवाही	22	21.50	16
10.	बालोद	लाठाबोड़	13	15.00	30
11.	बालोद	सोहतरा	2	4.00	14
12.	बालोद	खपरी	2	2.50	32
13.	बालोद	बोड़की	2	2.00	22
14.	बालोद	चिरईगोड़ी	1	2.00	7
15.	बालोद	करहीभदर	18	19.00	5
16.	बालोद	कन्नेवाड़ा	4	3.50	6
17.	बालोद	परैगुड़ा	1	1.00	7
18.	बालोद	करकाभाट	1	1.50	1
19.	बालोद	गोरड़ी	3	2.50	14
20.	बालोद	लिमोरा	1	1.00	12
21.	बालोद	अमोरा	1	0.50	9
22.	बालोद	मुजगहन	2	2.00	8
23.	बालोद	हथौद	3	3.00	7
24.	बालोद	सांकरा (क)	10	13.00	6
25.	बालोद	बरही	4	3.50	8
26.	बालोद	जगतारा	3	4.50	13
27.	बालोद	जमरूवा	10	12.00	12
28.	बालोद	साल्हेटोला	1	0.50	8
29.	बालोद	तमोरा	14	16.00	23
30.	बालोद	दर्रीटोला	3	4.00	7
31.	बालोद	धरमपुरा	3	2.50	9
32.	बालोद	हरांठेमा	2	4.00	25
33.	बालोद	कांडे	5	4.00	9
34.	बालोद	नागाडबरी	9	15.00	21
35.	बालोद	परसोदा	3	2.50	12
36.	बालोद	कोंहगाटोला	14	16.00	32
37.	बालोद	रें. नवागांव	3	4.00	35
38.	बालोद	आरौद	2	3.00	32
39.	बालोद	ओरमा	9	13.00	27
40.	बालोद	रानीतराई	1	1.00	21
41.	बालोद	जुंगेरा	2	2.00	20
42.	बालोद	सुन्दरा	16	17.00	40
43.	बालोद	सांकरा (ज)	2	2.00	35
44.	बालोद	घुमका	9	7.80	26
45.	बालोद	मनौद	19	19.00	32
46.	बालोद	मुल्लेगुड़ा	3	6.00	35
47.	बालोद	निपानी	12	14.00	16
48.	बालोद	डोंगरापार	2	2.00	22
49.	बालोद	जामगांव	1	1.00	8
50.	बालोद	बालोद	3	3.50	15
51.	बालोद	गोड़पाल	2	1.50	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52.	बालोद	भे. नवागांव	2	2.00	22
53.	बालोद	अंगारी	1	1.00	10
54.	बालोद	मेड़की	3	4.00	20
55.	बालोद	बघमरा	2	2.00	18
56.	बालोद	भैंसबोड़	4	5.00	22
57.	बालोद	मटिया बी	1	0.50	8
58.	बालोद	खरथुली	2	1.60	20
59.	बालोद	दे. नवागांव	1	1.60	22
60.	बालोद	खुर्सीपार	1	1.50	30
कुल रकबा			288	326.00	
1.	डौण्डी	घोटिया	10	12.00	25
2.	डौण्डी	कुसुमकसा	1	3.00	35
3.	डौण्डी	मंगलतराई	6	7.00	30
4.	डौण्डी	भरीटोला	1	2.50	45
5.	डौण्डी	पटेली	1	1.00	42
6.	डौण्डी	डोरीठेमा	1	2.50	45
7.	डौण्डी	बेलोदा	3	3.50	25
8.	डौण्डी	जम्ही	1	1.00	25
9.	डौण्डी	तुआदंड	1	1.00	34
10.	डौण्डी	बाम्हनी	1	2.00	25
11.	डौण्डी	बेलारगोंदी	1	2.00	35
12.	डौण्डी	चिखलाकसा	1	1.00	36
13.	डौण्डी	मरकाटोला	1	2.00	32
14.	डौण्डी	सुअरबोड़	2	1.50	35
15.	डौण्डी	सुरडोंगर	1	0.50	40
16.	डौण्डी	पेन्डी	1	0.50	25
17.	डौण्डी	कोटगांव	1	2.00	28
18.	डौण्डी	मड़ियाकट्टा	1	3.00	35
19.	डौण्डी	परसोदा	1	2.00	32
20.	डौण्डी	जगकोहरा	1	2.00	30
योग			37	52.00	
1.	पाटन	सिरसाकला	1	1.00	96
2.	पाटन	बोरवाय	1	0.50	45
3.	पाटन	अरमरीखुर्द	2	1.80	45
4.	पाटन	कानाकोट	2	2.00	42
5.	पाटन	रूदा	1	0.50	46
6.	पाटन	सेलूद	2	2.00	65
योग			9	7.80	
1.	दुर्ग	चंदखुरी	2	3.50	80
2.	दुर्ग	महमरा	1	0.50	96
3.	दुर्ग	कुथरेल	1	2.00	82

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	दुर्ग	थनौद	1	2.00	68
5.	दुर्ग	मोहरेंगा	1	1.00	62
6.	दुर्ग	परसदा	2	2.00	61
7.	दुर्ग	जंजगिरी	3	5.20	85
8.	दुर्ग	मोरिद	1	1.00	82
9.	दुर्ग	उतई	1	0.50	60
<b>योग</b>			<b>13</b>	<b>17.70</b>	
1.	खैरागढ़	हरदी	3	4.50	70
2.	खैरागढ़	मड़ौदा	2	2.00	80
3.	खैरागढ़	जोरातराई	4	7.00	110
4.	खैरागढ़	सण्डी	4	8.00	85
5.	खैरागढ़	गाढ़ागाट	1	2.00	110
6.	खैरागढ़	भोरमपुर	1	2.00	95
7.	खैरागढ़	जुरहाकला	3	5.00	108
8.	खैरागढ़	खरकाटोला	2	2.80	82
<b>योग</b>			<b>20</b>	<b>33.30</b>	
1.	राजनांदगांव	उरईडबरी	3	5.00	105
2.	राजनांदगांव	भरेंगांव	4	6.00	98
3.	राजनांदगांव	घुमका	4	6.00	80
4.	राजनांदगांव	डोंगरगांव	4	7.00	50
5.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	2	4.00	70
<b>योग</b>			<b>17</b>	<b>28.00</b>	
1.	धमतरी	डोढ़की	4	5.00	32
2.	धमतरी	परसतराई	6	7.00	38
3.	धमतरी	जोगीडीह	2	3.00	48
4.	धमतरी	दर्री	4	8.00	38
5.	धमतरी	बागोडार	4	6.60	45
6.	धमतरी	जालमपुर	3	5.00	32
<b>योग</b>			<b>23</b>	<b>34.60</b>	
<b>महायोग</b>		<b>कुल ग्राम</b>	<b>329</b>		
		<b>किसान संख्या</b>	<b>1156</b>		
		<b>कुल रकबा ( हे. )</b>	<b>1668.40</b>		

**पेराई सत्र 2016-17 में क्रय केन्द्र बेरला ( विकासखंड बेरला ) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी**

क्रमांक	क्रय केन्द्र का नाम	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों का नाम	विकासखण्ड	किसान संख्या	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	बेरला	बेरला	बेरला	4	8.00	0
2.	बेरला	भिभौरी	बेरला	3	8.00	24
3.	बेरला	खर्सा	बेरला	1	4.00	21
4.	बेरला	बीजाभाट	बेरला	2	5.00	35
5.	बेरला	कुम्ही	बेरला	2	5.00	26
6.	बेरला	तिईया	बेरला	5	12.00	29
7.	बेरला	पिपरोलडीह	बेरला	2	4.00	24
8.	बेरला	पीपरलटरा	बेरला	3	7.00	21
9.	बेरला	ताला	बेरला	3	6.00	35
10.	बेरला	उफरा	बेरला	4	12.00	26
11.	बेरला	गाडामोर	बेरला	4	25.00	29
12.	बेरला	सिंगारडीह	बेरला	3	5.00	17
13.	बेरला	तठियाकला	बेरला	2	4.00	10
14.	बेरला	लावतरा	बेरला	1	3.00	8
15.	बेरला	तारालीम	बेरला	2	2.00	6
16.	बेरला	खामतराई	बेरला	2	5.00	12
17.	बेरला	सांकरा	बेरला	3	5.00	6
18.	बेरला	बहेरा	बेरला	15	42.00	2
19.	बेरला	पतोरा	बेरला	2	4.00	5
20.	बेरला	गोड़गिरी	बेरला	1	4.00	14
21.	बेरला	करामाल	बेरला	2	4.00	3
22.	बेरला	परपोड़ा	बेरला	3	8.00	15
23.	बेरला	मोहभट्टा	बेरला	2	4.00	17
24.	बेरला	पाथरपुंजी	बेरला	4	10.00	8
25.	बेरला	सोंढ	बेरला	3	6.00	8
26.	बेरला	भरचट्टी	बेरला	2	2.00	8
27.	बेरला	बचेडी	बेरला	7	15.00	13
28.	बेरला	चौगीखपरी	बेरला	2	4.00	15
29.	बेरला	तिलई	बेरला	2	4.00	12
30.	बेरला	बारगांव	बेरला	3	8.00	12
31.	बेरला	करेली	बेरला	3	8.00	10
32.	बेरला	बांसा	बेरला	2	4.00	3
33.	बेरला	देवकर	साजा	3	8.00	24
34.	बेरला	राखी	साजा	3	5.00	21
35.	बेरला	अमलीडीह	साजा	2	3.00	35
36.	बेरला	परसबोड	साजा	3	5.00	26
37.	बेरला	साजा	साजा	4	8.00	29
38.	बेरला	डोंगीतराई	साजा	2	4.00	31
39.	बेरला	संबलपुर	साजा	3	5.00	38
40.	बेरला	खाती	साजा	1	3.00	42
41.	बेरला	अकलवारा	साजा	2	5.00	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	बेरला	नवकेसा	साजा	1	3.00	32
43.	बेरला	सोमईकला	साजा	2	4.00	40
44.	बेरला	बेदची	साजा	2	4.00	30
45.	बेरला	पेन्ड्री	धमधा	3	5.00	32
46.	बेरला	सगनी	धमधा	2	6.00	40
47.	बेरला	कौड़िया	धमधा	2	4.00	29
48.	बेरला	घटिया खुर्द	धमधा	2	4.00	22
49.	बेरला	मुडपार	धमधा	2	4.00	20
50.	बेरला	मोहदी	धमधा	2	4.00	22
51.	बेरला	चेटवा	धमधा	3	8.00	30
52.	बेरला	अछोली	धमधा	1	2.00	30
53.	बेरला	दादर	धमधा	3	5.00	30
54.	बेरला	संडी	धमधा	3	6.00	21
55.	बेरला	डूमर	धमधा	2	3.00	26
56.	बेरला	गिरहोला	धमधा	1	3.00	18
57.	बेरला	माटरा	धमधा	2	6.00	12
58.	बेरला	धमधा	धमधा	3	5.00	22
59.	बेरला	बानबरद	धमधा	1	2.00	25
60.	बेरला	अहिवारा	धमधा	3	7.00	22
61.	बेरला	मोहरेंगा	धमधा	4	12.00	10
62.	बेरला	खजरी	धमधा	2	4.00	11
63.	बेरला	तरकोरी	धमधा	2	4.00	6
64.	बेरला	ठठिया	धमधा	2	4.00	7
65.	बेरला	मुरमुदा	धमधा	1	3.00	25
66.	बेरला	खपरी	धमधा	3	8.00	20
67.	बेरला	ढौर	धमधा	1	4.00	21
68.	बेरला	कपसदा	धमधा	2	4.00	20
69.	बेरला	परहा	धमधा	3	5.00	32
70.	बेरला	बासाडीह	धमधा	2	4.00	18
71.	बेरला	लहंगा	धमधा	1	1.00	12
72.	बेरला	मलपुरीकला	धमधा	1	2.00	25
73.	बेरला	पंचदेवरी	धमधा	2	4.00	20
74.	बेरला	ओटेबंद	धमधा	3	6.00	25
75.	बेरला	पेन्ड्रीतराई	धमधा	2	4.00	12
76.	बेरला	लिमतरा	धमधा	3	4.00	12
77.	बेरला	मुरा	धमधा	2	4.00	24
78.	बेरला	उदयपुर	धमधा	3	5.00	38
79.	बेरला	जोरातराई	धमधा	2	4.00	35
80.	बेरला	भटगांव	धमधा	3	6.00	25
81.	बेरला	गिहरोत	धमधा	4	9.00	20
82.	बेरला	मटरा	धमधा	4	8.00	25
83.	बेरला	नंदनी अहिवारा	धमधा	2	4.00	12
84.	बेरला	नंदनीखुर्द	धमधा	3	6.00	25
85.	बेरला	राहटादाह	धमधा	4	10.00	20
86.	बेरला	खुंदनी	धमधा	2	4.00	25
कुल योग				225	511.00	

**पेराई सत्र 2016-17 में क्रय केन्द्र आनंदगांव ( विकासखंड बेरला ) पर गन्ना सप्लाई करने वाले ग्रामों की सूची एवं दूरी की जानकारी**

क्रमांक	क्रय केन्द्र	क्रय केन्द्र पर गन्ना आपूर्ति करने वाले ग्रामों का नाम	विकासखण्ड	किसान संख्या	गन्ना फसल रकबा (हेक्टे. में)	क्रय केन्द्र से ग्रामों की दूरी (कि.मी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आनंदगांव	कोसपातर	बेरला	2	4.00	8
2.	आनंदगांव	मटिया	बेरला	2	3.00	7
3.	आनंदगांव	आनंदगांव	बेरला	3	5.00	12
4.	आनंदगांव	नवागांव	बेरला	4	7.00	5
5.	आनंदगांव	खुड़मुड़ा	बेरला	8	16.00	4
6.	आनंदगांव	सिंगदेही	बेरला	1	2.00	8
7.	आनंदगांव	सहौली	बेरला	3	5.00	6
8.	आनंदगांव	बेलौदीकला	बेरला	1	2.00	10
9.	आनंदगांव	मुड़पारखुर्द	बेरला	1	2.00	10
10.	आनंदगांव	तेलगा	बेरला	1	2.00	4
11.	आनंदगांव	सरदा	बेरला	2	4.00	8
12.	आनंदगांव	लेंजवारा	बेरला	2	4.00	8
13.	आनंदगांव	देवादा	बेरला	4	8.00	5
14.	आनंदगांव	अकोली	बेरला	1	2.00	8
15.	आनंदगांव	देवरी	बेरला	4	8.00	8
16.	आनंदगांव	हरदी	बेरला	2	4.00	15
17.	आनंदगांव	हसदा	बेरला	1	3.00	8
18.	आनंदगांव	तिवैरैया	बेरला	2	2.00	32
19.	आनंदगांव	नेवनारा	बेरला	1	2.00	9
20.	आनंदगांव	लालपुर	बेमेतरा	1	1.00	49
21.	आनंदगांव	पचभैया	बेमेतरा	1	1.00	48
22.	आनंदगांव	पेंड्री ( दाढ़ी )	बेमेतरा	1	1.00	38
23.	आनंदगांव	खडसरा	बेमेतरा	2	3.00	34
24.	आनंदगांव	भैसा	बेमेतरा	2	4.00	36
25.	आनंदगांव	झाराडीह	बेमेतरा	1	2.00	38
26.	आनंदगांव	बेतर	बेमेतरा	1	2.00	42
27.	आनंदगांव	बटार	बेमेतरा	1	2.00	44
28.	आनंदगांव	पंडरभट्टा	बेमेतरा	2	6.00	34
29.	आनंदगांव	पेंड्रतराई	बेमेतरा	1	3.00	32
30.	आनंदगांव	लावातरा	बेमेतरा	1	2.00	35
31.	आनंदगांव	करचुआ	बेमेतरा	1	1.00	32
32.	आनंदगांव	पेंड्री ( बालसमुंद )	बेमेतरा	3	8.00	36
33.	आनंदगांव	कुसमी	बेमेतरा	1	3.00	39
34.	आनंदगांव	झाल	बेमेतरा	5	12.00	37
35.	आनंदगांव	सिंगपुर	बेमेतरा	1	3.00	27
36.	आनंदगांव	उधरी	बेमेतरा	1	2.00	48
37.	आनंदगांव	बैजलपुर	बेमेतरा	2	3.00	45
38.	आनंदगांव	बहु नवागांव	बेमेतरा	5	12.00	42
39.	आनंदगांव	गांगपुर	बेमेतरा	2	4.00	48
40.	आनंदगांव	मटका	बेमेतरा	1	2.00	35
41.	आनंदगांव	बीजापुर	बेमेतरा	8	13.00	32



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.	आनंदगांव	अमोरा	बेमेतरा	6	12.00	38
43.	आनंदगांव	चावरभंठा	बेमेतरा	11	15.00	42
44.	आनंदगांव	लेलासरा	बेमेतरा	12	18.00	47
45.	आनंदगांव	बहरा	बेमेतरा	1	2.00	52
46.	आनंदगांव	मुंगेली	बेमेतरा	1	3.00	32
47.	आनंदगांव	बाराडोरा	बेमेतरा	1	1.00	45
48.	आनंदगांव	रबेली	बेमेतरा	2	5.00	45
49.	आनंदगांव	सुखाताल	बेमेतरा	3	5.00	44
50.	आनंदगांव	सुगहनपुर	बेमेतरा	2	4.00	46
कुल योग				128	240.00	

### आरक्षित किये जाने वाले ग्रामों की संकलित जानकारी

कारखाना कार्यक्षेत्र में कुल ग्रामों की संख्या — 371, किसान संख्या — 1156, रकबा—1875.40 हेक्टेयर  
(वि.ख.—बालोद, गुरूर, डौण्डी, डौण्डी लोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, खैरागढ़, धमधा)

कारखाना कार्यक्षेत्र के बाहर के कुल ग्रामों संख्या — 93 किसान संख्या — 353 रकबा—536.00 हेक्टेयर (वि.ख.—साजा, बेरला, बेमेतरा)

**महायोग —** ग्राम 464 किसान 1509 संख्या — रकबा 2411.40 हेक्टेयर

### कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2017

क्र. 21/चार/निरर्हित/2013-16/4311.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के आदेश क्रमांक 76/छ.ग.-लो.स./2014, दिनांक 08 दिसंबर, 2016 द्वारा लोकसभा साधारण निर्वाचन-2014 में जिला बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर एवं महासमुंद से निर्वाचन लड़ने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थियों को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

निधि छिब्बर,  
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, तारीख 8 दिसम्बर, 2016—17 अग्रहायण, 1938 (शक)

**आदेश**

सं. 76/छ.ग.-लो.स./2014.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ राज्य से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है.

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

**सारणी**

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निरर्हता का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ लोकसभा का साधारण निर्वाचन, 2014	5-बिलासपुर	लखनलाल साहू, महाराणा प्रताप वार्ड, पेण्डाराकापा मुंगेली, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
2.	—वही—	6-राजनांदगांव	आनंद साहू, मजगांव, चिमरा रोड, पिन नं.-491995 कवर्धा, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़	—वही—
3.	—वही—	—वही—	संतोष चंद्राकर ग्राम-पेंडीकला, पोस्ट-कुण्डा तहसील-पंडरिया, जिला-कबीरधाम, छत्तीसगढ़.	—वही—
4.	—वही—	—वही—	वामनराव बांगड़े, 358 सुन्दर नगर, रायपुर, पोस्ट-सुन्दर नगर थाना, उपाध्याय नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	छत्तीसगढ़ लोकसभा का साधारण निर्वाचन, 2014	8-रायपुर	रामगोपाल वर्मा, सिंधीटार, पो.आ.-पुरगांव, विकासखंड-बिलाईगढ़ थाना-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
6.	—वही—	9-महासमुन्द	आभा पाण्डेय (गुडिया) प्रोफेसर कालोनी, गली नंबर 15 सेक्टर 3, रायपुर छत्तीसगढ़.	—वही—
7.	—वही—	—वही—	प्रीति ध्रुव, ग्राम हरदी, घोंच, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़.	—वही—
8.	—वही—	—वही—	लक्ष्मण मस्तुरिया सेक्टर-1, दुर्गा चौक, मकान नं.-160, प्रोफेसर कालोनी, रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
9.	—वही—	—वही—	चन्दुराम साहू ग्राम-दुरूगपाली, तहसील-पिथौरा, छत्तीसगढ़.	—वही—
10.	—वही—	—वही—	चन्दूराम साहू, ग्राम-टुण्डरा, पो.-टुण्डरा जिला-बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़	—वही—
11.	—वही—	—वही—	चन्दू लाल साहू ग्राम-गढ़सिवनी, तहसील-महासमुन्द, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़	—वही—
12.	—वही—	—वही—	चन्दूलाल साहू, ग्राम-भाटीगढ़, पो.-भाटीगढ़, थाना-मैनपुर, जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़.	—वही—
13.	—वही—	—वही—	चन्दूलाल साहू तौलीडीह, तहसील-भाटगांव जिला-बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़	—वही—
14.	—वही—	—वही—	चन्दूलाल साहू मंजीठा, तहसील-आरंग, रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—
15.	—वही—	—वही—	चन्दू लाल साहू, ग्राम गोइन्द्रा, पो.-गोइन्द्रा, थाना-पथरिया, जिला-मुंगेली छत्तीसगढ़.	—वही—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16.	छत्तीसगढ़ लोकसभा का साधारण निर्वाचन, 2014	9-महासमुन्द	चंदूलाल साहू ग्राम टेमरी, तहसील-धरसीवा जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे.
17.	—वही—	—वही—	मोतीलाल साहू, ग्राम-बावली, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली, छत्तीसगढ़.	—वही—
18.	—वही—	—वही—	मोतीलाल साहू 295 ग, नया मंडल बाजार, गुड़यारी रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़.	—वही—
19.	—वही—	—वही—	सुखनन्दन देशकर हरनादादर, पो.-घुंछापाली, तह.-बागबाहरा, जिला-महासमुन्द, छत्तीसगढ़.	—वही—

आदेश से,

हस्ता./-

( के. एन. भार )

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 8th December, 2016—17 Agrahayana, 1938 (Saka)

**ORDER**

No. 76/CG-HP/2014.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the House of People, 2014 from the State of Chhattisgarh as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column (5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuant of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a

period of three years from the date of this order :—

TABLE

S. No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	General Election to the House of People 2014 from the State of Chhattisgarh.	5-Bilaspur	Sh. Lakhan Lal Sahu, Behind Satnam Bhawan, Daupara Distt.-Mungeli, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	6-Rajnandgaon	Anand Sahu, Manjgaon, Chimra Road Pin No. 491995, Kawardha, Distt.-Kabirdham, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Santosh Chandrakar Village-Pendrikala, Post-Kunda, Tahsil-Pandariya, Distt.-Kabirdham, Chhattisgarh.	—do—
4.	—do—	—do—	Waman Rao Bagde 358 Sundar Nagar, Raipur, Post-Sundar Nagar, Thana-Upadhyay Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
5.	—do—	8-Raipur	Ramgopal Verma, Sindhi Taar, P.O.-Purgaon, Tahsil-Bilaigarh, Thana-Bialigarh, Distt.-Baloda Bazar-Bhatapara Chhattisgarh.	—do—
6.	—do—	9-Mahasamund	Abha Pandey Gudia Professor Colony, Gali No. 15 Sector 3, Distt.-Raipur Chhattisgarh.	—do—
7.	—do—	—do—	Preeti Dhruw, Vill.-Hardi, P.O.-Ghonch, Tahsil-Pithora, Distt.-Mahasamund Chhattisgarh.	—do—
8.	—do—	—do—	Lakshman Masturiya Sector-1, Durga Chowk, House No. 160, Professor Colony, Raipur, Distt.-Raipur Chhattisgarh.	—do—
9.	—do—	—do—	Chanduram Sahu, Vill.-Durugpali, Tahsil-Pithora, Distt.-Mahasamund Chhattisgarh.	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	General Election to the House of People 2014 from the State of Chhattisgarh.	9-Mahasamund	Chandu Ram Sahu, Vill.-Tundra, Post-Tundra, Distt.-Baloda-Bazar, Chhattisgarh.	Failure to lodge any account of election expenses
11.	—do—	—do—	Chandoo Lal Sahu, Vill.-Gadsivani, Tahsil & Distt.-Mahasamund, Chhattisgarh.	—do—
12.	—do—	—do—	Chandu Lal Sahu, Vill.-Bhatigarh, Post-Bhatigarh, Thana-Mainpur, Distt.-Gariyaband Chhattisgarh.	—do—
13.	—do—	—do—	Chandu Lal Sahu, Toulidih, Tahsil-Bhatgoan, Distt.-Baloda-Bazar, Chhattisgarh.	—do—
14.	—do—	—do—	Chandu Lal Sahu, Manjitha, Tahsil-Arang Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
15.	—do—	—do—	Chandu Lal Sahu, Vill. & Post-Goindra, Thana-Pathria, Distt.-Mungeli, Chhattisgarh.	—do—
16.	—do—	—do—	Chandu Lal Sahu, Vill.-Temari, Tahsil-Dharsiwa, Distt.-Raipur, Chhattisgarh.	—do—
17.	—do—	—do—	Motilal Sahu Vill.-Bavli, Tahsil-Pathria, Distt.-Mungeli, Chhattisgarh.	—do—
18.	—do—	—do—	Motilal Sahu, 295 G Naya Mandal Bazaar, Gudiyari, Raipur, Distt.-Raipur Chhattisgarh.	—do—
19.	—do—	—do—	Sukhnandan Deshkar, Harnadadar, Post-Ghunchapali, Tahsil-Baghbahara, Distt.-Mahasamund. Chhattisgarh.	—do—

By order,

Sd/-  
(K. N. BHAR)  
Secretary,

Election Commission of India.

## कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2016

क्रमांक/1950/कोन्टा.व.भू./न.ग्रा.नि./2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में कोन्टा निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक 1374/कोन्टा व.भू./नग्रा.नि./2016 जगदलपुर, दिनांक 03-09-2016 द्वारा किया गया था।

अब एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन कोन्टा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों का वर्तमान भूमि उपयोग एवं रजिस्ट्रों को तदनुसार सम्यक् रूप से दिनांक 13-12-2016 को अंगीकृत किया जाता है, तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसार में इस सूचना को छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का साक्ष्य होगा, कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार कर लिया गया है।

## अनुसूची

## कोन्टा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में : ग्राम फंदीगुडा की उत्तरी सीमा तक.  
 पूर्व में : ग्राम फंदीगुडा, ढोडरा, बोजरायगुडा, वेकटापुरम एवं कोन्टा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.  
 दक्षिण में : ग्राम कोन्टा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.  
 पश्चिम में : ग्राम कोन्टा, चिताकोन्टा, बोजरायगुडा, सुनमगुडा एवं फंदीगुडा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा।

**निरीक्षण स्थल :** कार्यालय नगर पंचायत भवन, कोन्टा.

No./1950/Konta. E.L./T&CP/2016.—The existing land use map and register for the Konta Planning Area was published under sub section (1) of section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notice no. 1374/Konta. E.L.U./2016 Jagdalpur, dated 03-09-2016.

Therefore a notice is here by given for the general information of the public that existing land use map and register of Konta Planning Area prepared and published are duly adopted under the provision of sub section (3) of the section 15 of the said Adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said Adhiniyam which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps and registers has been duly prepared and adopted on dated 13-12-2016.

## SCHEDULE

## Limits of Konta Planning Area

- NORTH : Village Fandiguda upto the northern limit.  
 EAST : Village Fandiguda, Dhodra, Bojrayguda, Vektapuram & Konta upto the eastern limit.  
 SOUTH : Village Konta upto the southern limit.  
 WEST : Village Konta, Chitakonta, Bojrayguda, Sunamguda & Fandiguda upto the western limit.

The said adopted maps and register shall be available for inspection for general public at following place during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

**Place of Inspection :** Nagar Panchayat Bhavan Konta.

डी. के. बघेल,  
 प्र. उप संचालक.

PANDIT DEENDAYAL UPADHYAY MEMORIAL HEALTH SCIENCES AND AYUSH UNIVERSITY  
OF CHHATTISGARH  
(Ex. Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh, Raipur)

Raipur, the 19th January 2017

CORRIGENDUM

No./F-253/N.S.-04/Ad./PDUMHSA Uni./2017/334.—Vide Section 3(1) of Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh (Amendment) Act 2016 the name of this University will be “Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh” from now onwards. It is hereby notified for the information of general public that this university shall be known by “Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh” name, therefore all the Certificates, degree, diplomas and letters which bears “Ayush and Health Sciences University of Chhattisgarh” shall be read and understood as “Pandit Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh”

Above Corrigendum is for notification published in Chhattisgarh Rajpatra Part-1 letter No. 2226 dated 16-12-2016.

K. L. TIWARI,  
Registrar.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2016

शुद्धि पत्र

क्रमांक 2104/नग्रानि/16.—कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ द्वारा अधिनियम की धारा 15 (1) के तहत जारी अधिसूचना क्रमांक 1772/नग्रानि/15 दिनांक 30-12-2015 (छ.ग. राजपत्र साधारण भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 440 एवं 441 में प्रकाशित दिनांक 26-02-2016) में त्रुटिवश लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं दर्शाने वाली अनुसूची में—

**पूर्व में :** ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव एवं कुंजेरा की पूर्वी सीमा तक उल्लेखित किया गया है, के स्थान पर **पूर्व में :** ग्राम जामबहार, रूडूकेला, पकरगांव, लैलुंगा एवं कुंजेरा ग्राम की पूर्वी सीमा तक पढ़ा जावे.

**पश्चिम में :** ग्राम अंगेकेला, झरन एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक उल्लेखित किया गया है, के स्थान पर **पश्चिम में :** ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, झरन, खम्हार एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक, पढ़ा जावे. साथ ही कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 188/वि.यो./नग्रानि./15, दिनांक 30-12-2015 (छ.ग. राजपत्र साधारण भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 527 एवं 528 में प्रकाशित दिनांक 18-03-2016) को निरस्त माना जावे.



रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2016

### शुद्धि पत्र

क्रमांक 2106/नगानि/16.—कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ द्वारा अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में जारी अधिसूचना क्रमांक 431/नगानि./16, दिनांक 02-04-2016 (छ.ग. राजपत्र साधारण भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 746 एवं 747 में प्रकाशित दिनांक 29-04-2016) में लैलुंगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं दर्शाने वाली अनुसूची में —

**पश्चिम में :** ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, झरन एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक उल्लेखित किया गया है, के स्थान पर **पश्चिम में :** ग्राम अंगेकेला, कुंजेरा, लैलुंगा, खम्हार, झरन एवं भेलवाटोली की पश्चिमी सीमा तक, पढ़ा जावे.

आर. एन. प्रसाद,  
उप संचालक.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 16th January 2017

No. 502/Rules/2017.—In exercise of the powers conferred under Articles 227, 233, 234 and 235 of the Constitution of India the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following amendment in Column No. 2 at S. No. 1 of Schedule-I of the Chhattisgarh Judicial Officers (Confidential Rolls) Regulations, 2015 :—

### AMENDMENTS

The following be added in Column No. 2 at S. No. 1 of Schedule-I after the words “Registrar (Inspection and Enquiry)” and before the words “and Registrar (Judicial)” :—

“, Registrar (Computerization), Registrar (Selection and Appointment Cell)”.

Bilaspur, the 16th January 2017

No. 504/Rules/2017.—The following amendments are incorporated in the High Court of Chhattisgarh (Annual Confidential Report) Rules, 2006. The amendment shall come into force with effect from the date of issuance of notification :—

### AMENDMENTS

The existing Table-1, 2, 3 & 4 in the High Court of Chhattisgarh (Annual Confidential Report) Rules, 2006 is substituted with the following tables :—

TABLE-1

Sl. No. (1)	Particulars of the employees (2)	Reporting Authority (3)	Reviewing Authority (4)	Accepting Authority (5)
1 (A)	Class IV employees posted in Bungalows of Hon'ble the Chief Justice & other Hon'ble Judges.	P.P.S./P.S. after consultation of Hon'ble the Chief Justice/concerned Hon'ble Judge as the case may be.	—	Registrar General

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 (B)	Class IV employees posted in Courts of Hon'ble the Chief Justice & other Hon'ble Judges.	P.P.S./P.S. after consultation of Hon'ble the Chief Justice/concerned Hon'ble Judge as the case may be.	—	Registrar General
2 (A)	Class IV employees posted in the services of Registry Officers except Registrar General.	To be written by the concerned Registry Officer.	—	Registrar General
2 (B)	Class IV employees posted in the O/o Registrar General.	A. R. (A)	—	Registrar General
3.	Class IV employees posted in various Sections.	Deputy Registrar/Assistant Registrar/Section Officer/Librarian/Asstt. Editor (I.L.R.) as the case may be (Under whose direct control the employee is working in the section).	Registrar concerned viz. Registrar (I.&E)/Registrar (Vig.)/Registrar (Computerization)/Registrar (Judicial)/Registrar (S & A Cell)/Additional Registrar as the case may be.	Registrar General

TABLE-2

Sl. No. (1)	Particulars of the employees (2)	Reporting Authority (3)	Reviewing Authority (4)	Accepting Authority (5)
1 (A)	Class III employees posted in Courts of Hon'ble the Chief Justice & other Hon'ble Judges.	P.P.S./P.S. after consultation of Hon'ble the Chief Justice/concerned Hon'ble Judge as the case may be.	—	Registrar General
1 (B)	Stenographers posted in Courts of Hon'ble the Chief Justice & other Hon'ble Judges.	P.P.S./P.S. after consultation of Hon'ble the Chief Justice/concerned Hon'ble Judge as the case may be.	—	Registrar General
2 (A)	Class III employees including stenographer posted in the services of Registry Officers except Registrar General.	The concerned Registry Officer.	—	Registrar General
2 (B)	Class III employees including Stenographer posted in the O/o Registrar General.	Deputy Registrar/Assistant Registrar/Section Officer as the case may be.	—	Registrar General

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Class III employees posted in various Sections.	Deputy Registrar/Assistant Registrar/Section Officer/Librarian/Asstt. Editor (I.L.R.) as the case may be (Under whose direct control the employee is working in the section).	Registrar concerned viz. Registrar (I.&E)/Registrar (Vig.)/Registrar (Computerization)/Registrar (Judicial)/Registrar (S&A Cell)/Additional Registrar as the case may be.	Registrar General

TABLE-3

Sl. No. (1)	Particulars of the employees (2)	Reporting Authority (3)	Reviewing Authority (4)	Accepting Authority (5)
1	Class-II officers (Asstt. Registrar, Section Officer. Private Secretary Assistant editor I.L.R. etc.), posted in the Court of Hon,ble the Chief Justice & other Hon,ble Judges.	Registrar (Judl.) after consultation of Hon'ble the Chief Justice/concerned Hon,ble Judge as the case may be.	—	Registrar General
2.	Class-II officers (Asstt. Registrar, Section Officer, Private Secretary etc.) posted in the office of Registrar General.	Registrar General	—	Hon'ble the Chief Justice
3.	Other Class-II officers/ Asstt. Registrar/Section Officer/Librarian/Asstt. Editor (I.L.R.), as the case may be, posted in various Sections.	Concerned Registrars viz. Registrar (I.&E)/Registrar (Vig.)/Registrar (Computerization)/Registrar (Judicial)/Registrar(S&A Cell)/Additional Registrar as the case may be.	—	Registrar General

TABLE-4

Sl. No. (1)	Particulars of the employees (2)	Reporting Authority (3)	Reviewing Authority (4)	Accepting Authority (5)
1	Registrar General, Registrar (I. & E)/Registrar (Vig.)/Registrar (Computerization)/Registrar (Judicial)/Registrar (S&A Cell) of the High Court.	Hon'ble the Chief Justice/Administrative Judge/Senior most High Court Judge.	—	Hon'ble the Chief Justice

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Other Judicial Officers posted in Registry of High Court except Registrar (I.&E)/Registrar (Vig.)/Registrar (Computerization)/Registrar (Judicial) Registrar (S&A Cell).	Registrar General	—	Hon'ble the Chief Justice
3.	Class-I officers other than the Judicial Officer posted in the Registry.	Registrar General	—	Hon'ble the Chief Justice

TABLE-5

Sl. No. (1)	Particulars of the employees (2)	Reporting Authority (3)	Reviewing Authority (4)	Accepting Authority (5)
1	Director of State Judicial Academy.	Chairman of State Judicial Academy.	—	Hon'ble the Chief Justice
2	Additional Director and other Judicial Officers posted at State Judicial Academy.	Director State Judicial Academy.	Chairman of State Judicial Academy.	Hon'ble the Chief Justice
3	Class-I and Class-II officers other than the Judicial Officer posted in CSJA.	Additional Director, State Judicial Academy.	Director	Chairman of State Judicial Academy
4	Class-III & Class-IV employees posted in CSJA.	Additional Director CSJA	—	Director CSJA
5.	Class-IV employees posted in the services of officers of CSJA.	Concerned Officer	—	Director CSJA

Bilaspur, the 30th January 2017

No. 129/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Judicial Officers of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, in whose favour a certificate was issued vide Registry Order No. 588/Confdl./2015/II-2-4/2002 dated 06-08-2015, are, hereby, confirmed in Higher Judicial Service from the date mentioned in column No. (3) :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of confirmation (3)
1.	Shri Jantaram Banjara	29-09-2016
2.	Smt. Kiran Chaturvedi	01-11-2016
3.	Shri Vijay Kumar Hota	23-12-2016

Bilaspur, the 30th January 2017

No. 131/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The following Officiating/Probationary\* District Judges of Higher Judicial Service, are hereby, issued certificate of confirmation in terms of sub-rule (5) of Rule 9 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 2006 :—

TABLE

1.	Shri Shyam Lal Nawartana*
2.	Shri Devendra Nath Bhagat
3.	Shri Ramjivan Dewangan
4.	Shri Anand Ram Dhidhi
5.	Shri Omprakash Singh Chauhan
6.	Shri Gopal Krishna Neelam
7.	Shri Liladhar Sarthi
8.	Shri Pravin Kumar Pradhan
9.	Shri Rishi Kumar Burman
10.	Ku. Sanghpushpa Bhatpahari
11.	Smt. Geeta Neware
12.	Shri Prabodh Toppo
13.	Shri Srinarayan Singh
14.	Shri Sheikh Ashraf
15.	Shri Alok Kumar (Jr.)
16.	Ku. Ranju Rautrai
17.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari
18.	Smt. Leena Agrawal
19.	Shri Pankaj Kumar Jain
20.	Shri Pankaj Kumar Sinha
21.	Shri Harish Kumar Awasthi
22.	Smt. Shraddha Shukla Sharma
23.	Smt. Madhu Tiwari
24.	Smt. Garima Sharma
25.	Shri Yashvant Kumar Sarthi
26.	Shri Rajendra Kumar Verma
27.	Shri Sunil Kumar Jaiswal*

28. Smt. Vandana Deepak Dewangan\*
29. Shri Neeraj Sharma\*
30. Shri Rajeev Kumar\*
31. Shri Suresh Joon\*
32. Smt. Neelima Singh Baghel\*
33. Shri Dukhi Ram Dewangan\*
34. Smt. Shubhra Pachouri\*

Bilaspur, the 30th January 2017

No. 133/Confdl./2017/II-2-4/2002 (Part-II).—The period of officiation or probation, as the case may be, of the following Officiating/Probationary\* District Judges of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, is hereby, extended for a further period of one year ;—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Date of appointment is H.J.S. (3)
1.	Shri Gregory Tirkey	05-05-2014
2.	Shri Vinod Kumar Dewangan	09-05-2014
3.	Shri Dayasindhu Ganveer	09-05-2014
4.	Smt. Prisilla Paul Horo	12-05-2014
5.	Shri Sanket Kumar Khanday*	01-07-2014
6.	Shri Vijay Kumar Jolhe*	31-10-2014

By the order of the High Court,  
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 50/Comp./2016.—In the matter of departmental enquiry arising out of the conduct of Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, the then III Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur, presently placed under suspension with headquarter at Raipur, while dealing with the Criminal Complaint Case filed by Smt. Pratibha Gwal W/o Shri Prabhakar Gwal against Shri Amit Dubey & others, after considering the enquiry report dated 13-09-2016 submitted by the Enquiry Officer, Hon'ble the High Court of Chhattisgarh as Disciplinary Authority has been pleased to defer the matter till decision of the writ petition.

The High Court of Chhattisgarh is further pleased to revoke the suspension order No. 12/Comp./2016 dated 07-04-2016 passed against Shri Ashwani Kumar Chaturvedi, the then III Civil Judge Class-I and Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur, presently placed under suspension with headquarter at Raipur. His posting order will be issued separately.

By the order of the High Court,  
DEEPAK KUMAR TIWARI, Registrar (I & E).

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 105/L.G./2016/II-2-16/2014.—Shri G. K. Mishra, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 01 day on 03-10-2016, commuted leave for 02 days on 06-10-2016 & 07-10-2016 earned leave for 02 days on 13-10-2016 & 14-10-2016 along with permission to leave headquarters from 13-10-2016 to 16-10-2016, earned leave for 04 days from 24-11-2016 to 27-11-2016 along with permission to leave headquarters, commuted leave for 02 days on 28-11-2016 & 29-11-2016 in continuation of earned leave and commuted leave for 04 days from 03-12-2016 to 06-12-2016.

During the period of earned leave & commuted leave as the case may be, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Mishra, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 245 days of earned leave and 426 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 106/L.G./2016/II-2-25/2016.—Shri Arvind Kumar Sinha, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-12-2016 to 09-12-2016 along with permission to leave headquarters from 04-12-2016 to 12-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sinha, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 246 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 107/L.G./2016/II-3-14/2003.—Shri Rakesh Bihari Ghore, Registrar (Computerization)-cum-Central Project Co-ordinator, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 09 days from 23-11-2016 to 01-12-2016 along with permission to leave headquarters from the morning of 23-11-2016 till the morning of 02-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ghore, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 252 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 108/L.G./2016/II-2-4/2009.—Shri Ashok Kumar Sahu, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 05-12-2016 to 07-12-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sahu, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 274 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 109/L.G./2016/II-3-18/2007.—Shri D. L. Katakwar, Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted earned leave for 06 days from 25-11-2016 to 30-11-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Katakwar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 287 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 110/L.G./2016/II-3-4/2014.—Shri Hemant Saraf, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 03 days from 23-11-2016 to 25-11-2016 along with permission to leave headquarters from 23-11-2016 till the night of 25-11-2016 and earned leave for 02 days on 30-11-2016 & 01-12-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 151 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 111/L.G./2016/II-2-20/2007.—Smt. Kanta Martin, Judge, Family Court, Kanker is hereby, granted earned leave for 02 days on 17-11-2016 & 18-11-2016 along with permission to remain out of headquarters from the morning of 17-11-2016 till the evening of 20-11-2016 and earned leave for 15 days from 25-11-2016 to 09-12-2016.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Martin, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 298 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.



Bilaspur, the 24th December 2016

No. 112/L.G./2016/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 02 days on 13-12-2016 & 14-12-2016 along with permission to leave headquarters from 11-12-2016 to 14-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 181 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 24th December 2016

No. 113/L.G./2016/II-2-28/2016.—Shri Jaideep Garg, Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 08 days from 01-12-2016 to 08-12-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Garg, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 101 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 02/L.G./2016/II-3-4/2014.—Shri Hemant Saraf, Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 06 days from 01-01-2017 to 06-01-2017 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters from the morning of 25-12-2016 to 06-01-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Saraf, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 160 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 03/L.G./2017/II-2-12/2009.—Shri Ashok Kumar Goyal, Judge, Family Court, Jashpur is hereby, granted commuted leave for 14 days from 03-12-2016 to 16-12-2016 along with permission to leave headquarters from 03-12-2016 to 18-12-2016.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 331 days of half-pay-leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 04/L.G./2017/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted earned leave for 03 days from 01-12-2016 to 03-12-2016 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 30-11-2016 till before the Court hours of 05-12-2016 and earned leave for 09 days from 21-12-2016 to 29-12-2016 with winter vacation along with permission to leave headquarters after the Court hours of 20-12-2016 till before the Court hours of 02-01-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 173 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 05/L.G./2016/II-2-06/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 08 days from 27-12-2016 to 03-01-2017 along with permission to leave headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 06/L.G./2017/II-2-18/2016.—Shri Santosh Kumar Tiwari, Additional Director-II, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 26-12-2016 to 30-12-2016 along with permission to leave headquarters from 25-12-2016 to 30-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 94 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 07/L.G./2017/II-3-4/2008.—Shri Neelam Chand Sankhla, District & Sessions Judge, Durg is hereby, granted earned leave for 03 days from 22-12-2016 to 24-12-2016 along with permission to remain out of headquarters from 22-12-2016 to 25-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sankhla, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 247 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 08/L.G./2017/II-2-7/2003.—Shri Arvind Singh Chandel, Registrar General, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 03 days from 24-12-2016 to 26-12-2016 along with permission to leave headquarters from evening of 23-12-2016 till the morning of 27-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chandel, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 208 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 09/L.G./2017/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha), is hereby, granted earned leave for 04 days from 07-11-2016 to 10-11-2016 along with permission to leave headquarters and earned leave for 08 days from 24-12-2016 to 31-12-2016 along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 282 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 10/L.G./2017/II-2-24/2015.—Shri Venseslas Toppo, Officer-On-Special Duty, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 10 days from 22-12-2016 to 31-12-2016 along with permission to leave headquarters from 22-12-2016 to 31-12-2016.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Toppo, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 79 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 11/L.G./2017/II-2-16/2015.—Smt. Suman Ekka, Judge, Family Court, Korba, is hereby, granted earned leave for 09 days from 26-12-2016 to 03-01-2017 along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2016 till before the Court hours of 04-01-2017.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 12/L.G./2017/II-3-11/2014.—Shri Vijay Kumar Ekka, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby, granted earned leave for 09 days from 26-12-2016 to 03-01-2017 along with permission to remain out of headquarters from 25-12-2016 till before the Court hours of 04-01-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ekka, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 13/L.G./2017/II-2-17/2006.—Shri A. L. Joshi, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 06 days from 29-12-2016 to 03-01-2017 in continuation of winter vacation along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Joshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 266 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 13th January 2017

No. 14/L.G./2017/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 01 days on 29-12-2016 with winter vacation along with permission to leave headquarters from the evening of 28-12-2016 till the morning of 02-01-2017.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 204 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
OMPRAKASH SINGH CHAUHAN, Additional Registrar (ADMN.).

---